राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक: प.7(32)देव/98 **जयपुर, दिनांक: 6.6.2000**

आदेश

विषय:- देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

इस विभाग द्वारा आदेश संख्या प. 21(92)राज-1/77 दिनांक 2.4.93 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया संपत्तियों की स्थिति , क्षेत्र तथा किराये से पुराने किराये की तुलना करने पर स्पष्ट है कि किराये में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः प्रकरण पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। वर्तमान किराया नीति दिनांक 2.4.1993 के स्थान पर निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:-

क- व्यावसायिक संपत्तियों के लिये -

इन संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यावसायिक संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 60 गुना एकमुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा। उपकिरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 120 गुना एकमुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उपकिरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा। नियमन के बाद साझेदार/उपकिरायेदार द्वारा नये दर से किराया देय होगा।

ख- आवासीय संपत्तियों के लिये -

इन संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। सम्पदाओं का प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतया निषिद्ध होगा। प्रयोजन परिवर्तन पाये जाने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त निर्धारित किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा। साझेदार को नियमन के बाद नये दर से किराया देय होगा।

ग- राज्य/केन्द्र सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं जनहित में कार्यरत संस्थाओं को किराये पर दी जाने वाली संपदा -

संपदाओं के प्रयोजन अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किराया देय होगा।

घ- किराये में वृद्धि -

संपदाओं के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के बाद 15 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान रखा जाये।

नव निर्धारित किराया 1.4.2000 से देय होगा तथा किरायेदारों पर पिछले वर्ष का बकाया किराया दो समान किश्तों में 30.6.2000 तक वसूलनीय होगा। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किरायेदारों द्वारा किया गया भुगतान समायोजन किया जायेगा।

देवस्थान विभाग के मंदिरों में पदस्थापित चौकीदार तथा पुजारियों के लिये यदि आवासीय स्थान उपलब्ध है, तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किराया मानदण्डों के अनुसार किराये पर दिया जा सकेगा।

राज्य से बाहर स्थित संपदाओं का नवीन किराया निर्धारित उस क्षेत्र के लिये लागू सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी0एस0आर0 के मानदण्डानुसार निर्धारित किया जाकर उपरोक्तानुसार वसूलनीय होगा।

देवस्थान विभाग की जीर्ण- शीर्ण अथवा रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण होने की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी संपदाओं या भूमियों पर यदि किन्हीं सेवाभावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों , संस्थाओं को उनके चाहने पर प्रश्नगत संपदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुण-दोष के आधार पर प्रदान की जायेगी।

भविष्य में विभागीय संपदा जैसे भूमि, भवन आदि को राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त, खुली नीलामी द्वारा ही किराये पर दिया जा सकेगा। देवस्थान विभाग इस नीति के अनुसार सभी वर्तमान किरायेदारों को किराया वृद्धि के बारे में सूचित करेगा एवं आपत्तियों उठाने के लिये अवसर देगा।

आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नया किराया निर्धारण किया जायेगा तथा नये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

आज्ञा से,

ह0

(प्रह्लाद शर्मा)

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

2 मंत्रीमण्डल, सचिवालय को उनकी आज्ञा संख्या 48/2000 की पालना में

3 समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।

4 रक्षित पत्रावली।

ह0

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 जयपुर, दिनांक : 28. 8.2001

आदेश

विषय:- देवस्थान विभाग की संपदाओं की किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 द्वारा देवस्थान विभाग की संपदाओं को किराये पर देने के संबंध में किराया नीति जारी की गयी है। किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के बिन्दु -ख- शीर्षक ''आवासीय सम्पदाओं के लिये'' में निम्न लिखित उप किरायेदारों का प्रावधान जोड़ा जाता है।

''उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियम'' शुल्क निर्धारित किराये का 120 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उप किरायेदार के हक में किरायेदारी का नियमन किया जा सकेगा।''

आज्ञा से,

ह0/-

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय देवस्थान मंत्री महोदया।
2. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
3. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 जयपुर, दिनांक: 26.9.05

1. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
2. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।

विषय: - देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 से जारी नीति निर्धारण के बिन्दु (क) व्यावसायिक संपत्तियों के लिये एवं बिन्दु (ख) आवासीय संपत्तियों के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि साझेदारी एवं उप किरायेदारी के प्रकरणों में लिये जाने वाला नियमन शुल्क , सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार किराये का 30 प्रतिशत दर से देय किराया राशि से लिया जाये।

भवदीय

ह0/-

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, देवस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, देवस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 /पार्ट जयपुर, दिनांक : 30. 7.08

आदेश

विषयः- देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित किराया नीति में संशोधन

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 एवं समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के द्वारा देवस्थान विभाग की संपदाओं के लिए निर्धारित किराया नीति में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है-

1. किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के शीर्षक - क- ‘‘ व्यावसायिक सम्पदाओं के लिये ” के नीचे विद्यमान सम्पूर्ण प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात्

क- व्यावसायिक संपत्तियों के लिये -

(i) व्यावसायिक संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यावसायिक संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा।

(ii) साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क क- (i) के अनुसार देय किराये का 60 गुना एकमुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा।

(iii) उपकिरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क क- (i) के अनुसार देय किराये का 120 गुना एकमुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उपकिरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा।

(iv) नियमन के बाद साझेदार/उपकिरायेदार द्वारा नयी दर से किराया देय होगा।

2. उक्त किराया नीति के शीर्षक बिन्दु -ख- ‘‘आवासीय सम्पदाओं के लिये” के नीचे विद्यमान प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात्

ख- आवासीय संपत्तियों के लिये -

(i) आवासीय संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा।

(ii) साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क -ख (i) के अनुसार देय किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन जायेगा।

(iii) उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क -ख (i) के अनुसार देय किराये का 120 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी उपकिरायेदार के हक में किरायेदारी का नियमन किया जा सकेगा।

(iv) नियमन के बाद साझेदार/उपकिरायेदार द्वारा नयी दर से किराया देय होगा।

आज्ञा से,

ह0/-

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय देवस्थान मंत्री महोदया।
2. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
3. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

उप शासन सचिव